बंद

अनुसूची 14-फारम सं० 562

P. 57
8.4.16

# आदेश - पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक-ता० ........ से ........ तक

जिला गढ़वा ........ सं० 12 ........ सन् 2015-16

केस का प्रकार CNT Act की धारा 46 के तहत अनु०ज०जा० की भूमि बिक्री हेतु परमिशन

| आदेश की क्रम सं० और तारीख<br>1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित<br>3 |
|---|---|---|
| 20-6-2015. | आवेदक विक्रेता कौशिला देवी पति स्व० अन्तु सिंह जाति खरवार ग्राम + पो० मकरी थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड ने आवेदन पत्र दे कर अपनी निम्नांकित भूमि की बिक्री क्रेता श्रीमति मालती देवी पति श्री बनारसी सिंह जाति खरवार ग्राम + पो० मकरी थाना भवनाथपुर के हाथों भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति की मांग की है।<br><br>भूमि का विवरण<br><br>ग्राम+थानानं० \| खाता \| प्लौट \| रकबा \| चौहद्दी<br>मकरी 17 \| 249 \| 1621 \| 0-75 डी० \| उत्तर- सुदामा सिंह, द०- काशी राम, पू०- पक्की सड़क, प०- नथुनी कोइर<br>0-75 डी० [पचहत्तर डी० मात्र]<br><br>आम इस्तहार निर्गत करें एवं संबंधित अँचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 20-7-15 करें।<br><br>[signature] 20/6/15<br><br>भू०सु० उपसमाहर्त्ता | |

| आदेश की क्रम सं० और तारीख<br>1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2 | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित<br>3 |
|---|---|---|
| | अभिलेख उपस्थापित। अंचल पदाधिकारी, भवनाथपुर के पत्रांक 10 दिनांक 22-1-2016 से जाँच प्रतिवेदन एवं आम इश्तहार की तामिला प्रति प्रकाशन के पश्चात प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना वो एक ही जाति के सदस्य है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत जीवोध खरवार वो बन्धु खरवार पिता चेहल खरवार, ठकुरी वल्द युदु खरवार के नाम से दर्ज है, जिसका भाग भाग पंजी II पर रैयत करमु खरवार वो रामदेव खरवार पिता बन्धु खरवार वगै० भीखम खरवार वो मुन्सी खरवार पिता ठकुरी खरवार के नाम से कायम है। खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का सम्बन्ध ससुर एवं खतियानी रैयत से दादा ससुर का है। प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात शेष 35-37 एकड़ बचती है। आवेदक भूमिहीन की श्रेणी अन्तर्गत नहीं आते हैं। प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2015-16 तक जमा है। प्रस्तावित भूमि की बिक्री पुत्री की शादी करने हेतु की जा रही है। प्रस्तावित भूमि को अंचल अधिकारी द्वारा बिक्री करने की अनुशंसा की गई है।<br>अतः इनके अनुशंसा के आलोक में आवेदक विक्रेता श्रीमति कौशल्या देवी पति अनु सिंह सा० मकरी थाना थाना+अंचल भवनाथपुर जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड को निम्नांकित भूमि क्रेता मालती देवी पति बनारसी सिंह ग्राम मकरी थाना+अंचल- भवनाथपुर जिला गढ़वा (झारखण्ड) के हाथों भूमि बिक्री करने की (स्वीकृति) दी जाती है। | |

भूमि का विवरण

| ग्राम+थाना नं० | खाता | प्लॉट | रकबा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|
| मकरी 17 | 249 | 1621 | 0.75डी० | उ०- सुदामा सिंह<br>द०- काशी राम<br>पू०- पक्की सड़क<br>प०- नथुनी सिंह |
| | | | 0.75डी० | |

(पचहत्तर डी० मात्र) मात्र

आवेदक एवं अवर निबंधक को सूचित करें।

लेखापित/संशोधित

?/4/16